

## भारत में अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक समस्याएँ एवं समाधान के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम का विश्लेषण



डॉ० पवन कुमार  
राजनीतिक विज्ञान विभाग,  
बि.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

भारतीय समाज में जाति-प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। यह एक जटिल संस्था है, इसने अपने समय में अनेक उत्थान-पतन देखे हैं। भारतीय समाज में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 'के.एम. पाणिकर' ने भारतीय परंपरागत समाज की विशेषता का वर्णन करते हुए बताया है कि यहाँ मुख्यतः दो सामाजिक संस्थाएँ पाई जाती हैं, जो संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था है। भारतीय जाति व्यवस्था को 'Divine Creation' भी समझा जाता है, लेकिन बहुत से समाजिक वैज्ञानिकों ने जाति व्यवस्था को एक 'Artificial Creation' माना है। यह विचार केवल भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों ने ही नहीं दिया बल्कि यूरोप के सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी इसी बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए हट्टन ने लिखा है, “Earlier European observers of the caste system were content to regard it an artificial creation.”<sup>1</sup>

महात्मा गांधी वर्ण-व्यवस्था को एक अंधी व्यवस्था मानते थे, वे इस व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते थे। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, “वर्ण का अर्थ है मनुष्य के पेशे के चुनाव का पूर्व-निर्धारण, वर्ण का नियम यह है कि एक व्यक्ति अपनी रोटी कमाने के लिए अपने पूर्वजों के पेशे को अपनाएगा। प्रत्येक बच्चा स्वाभावतः ही अपने पिता का वर्ण प्राप्त करता है, और अपने ही पिता का पेशा चुनता है। इस प्रकार एक अर्थ में वर्ण अनुवांशिकता का ही नियम है।” उन्होंने आगे लिखा है, “मेरा विश्वास है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्तियाँ लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसी निश्चित सीमाओं के साथ जन्म लेता है, जिन्हें लाँघ नहीं सकता। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही वर्ण के नियम को बनाया गया था। यह नियम कुछ निश्चित प्रवृत्तियों वाले मुनष्यों के लिए निश्चित कार्य क्षेत्रों की स्थापना करता है, इससे

अवांछनीय प्रतिस्पर्द्धा का अंत हो जाता है। सीमाओं को मानते हुए भी वर्ग का नियम छोटे और बड़े के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। एक ओर तो यह नियम प्रत्येक को उसके श्रम का फल देने का आश्वासन देता है, और दूसरी ओर वह उसे अपने पड़ोसी को दबाने या उसके कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोकता है। ‘गाँधीजी ने वर्ण एवं जाति को एक नहीं माना है, बल्कि एक दूसरे से भिन्न माना है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, वर्ण वह व्यवस्था नहीं है जो समाज को पृथक-पृथक खंड में विभाजित कर दें। मैं तो इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में मानता हूँ चाहे उस तथ्य को हम जाने अथवा न जाने। वर्ण हमारे अधिकारों को नहीं कर्तव्यों को बताता है। यह निश्चित उन पेशों से संबंधित है जो मानव कल्याण के लिए अनिवार्य है, इसका यह भी तात्पर्य है कि कोई भी पेशा बुरा-भला नहीं है।’‘ गाँधीजी के विचारों से यह पता चलता है कि वे वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते थे। इसलिए उन्होंने यह विचार दिया कि पुत्र को भी पिता के व्यवसाय को अपनाना चाहिए। गाँधीजी ने वर्ण को जाति से पृथक दिखाने का प्रयत्न किया है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जाति व्यवस्था का ही समर्थन किया, इससे पता चलता है कि बाद में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हो गये।<sup>2</sup>

हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के छात्र एवं छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के नीतियों का निर्माण कर क्रियान्वित करती रही है। केन्द्र राज्य एवं स्थानीय सरकारों की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रही है। कुछ वर्ष पूर्व संघीय सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-45 में संशोधन कर 21 अनुच्छेद के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को 86वाँ संशोधन के द्वारा आवश्यक कर दिया है। अब 6-14 वर्ष के सभी बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत सरकार 86वाँ संशोधन के आलोक में कानून बनाकर 1 अप्रैल 2010 से इसे प्रभावी भी घोषित कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बिहार जैसे प्रान्तों में निजी विद्यालयों में भी प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा खासकर के दलित शोषित और पिड़ित अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षित करने का एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। भारत सरकार की ऊँच्च शिक्षा के क्षेत्र

में सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित की जा रही है। राज्य स्तर पर खास कर के बिहार जैसे राज्य

में महादलित आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को शैक्षणिक दशा एवं दिशा में सुधर हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे— मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मध्यान भोजन कार्यक्रम, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं अन्य किस्म की आर्थिक एवं शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु नितियाँ बनाकर क्रियान्वित कर रही हैं। नई पंचायती राज योजना के अन्तर्गत पंचायतों को भी शैक्षणिक विकास हेतु दायित्व सौंपा गया है। इस तरह केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा प्रमुख नीतियों की दशा एवं दिशा का वर्णन समीचीन हो जाता है जो निम्न है:—

1 ली अप्रैल, 2007 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग से अलग कर “अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग” के रूप में स्थापित किया गया है।

“अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान” के लिए विभाग कि माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लगातार बजट प्रावधान में वृद्धि किया जा रहा है। राज्य योजना मद से वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रूपया 4048.36 लाख का उद्द्यय था, जबकि वर्ष 2013–14 में उद्द्यय कुल रूपया 85796.23 लाख किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के क्रार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बहुमूखी विकास हेतु निरन्तर नई योजनाओं को समावेशित किया जा रहा है।

#### अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग — बजट — 2013–14

क्रम	मद	मुख्य शीर्ष	प्रस्तावित बजट 2013–14		
			योजना	गैरयोजना	कुल
1	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	2225	86651.23	14732.28	10183.51
2	सचिवालय सेवायें	2251	0.00	308.88	308.88
3	पूंजीगत परिव्यय भवन निर्माण	4059	5710.00	0.00	5710.00
4	सहकारिता पर पुंजीगत परिव्यय	4425	100.00	0.00	100.00
कुल			92461.23	15041.16	107502.39

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक निदेशालय बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार महादलित विकास मिशन कार्यरत है, इस व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

### संचालित योजनायें :-

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन की जाती है। वर्तमान में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं –

### अनुसूचित जाति की योजनायें :-

1. आवासीय विद्यालय
2. छात्रवृत्ति
3. पुस्तक अधिकोष
4. अत्याचार राहत
5. छात्रावास योजना
6. वैधिक सहायता
7. मुख्य मंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना
8. विशेष केन्द्रीय सहायता योजना
9. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र
10. मेरिट उन्नयन केन्द्र
11. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना
12. महादलित विकास योजना
13. बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास
14. अनुसूचित जाति उप-योजना
15. अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान योजना।<sup>1</sup>

### योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उपलब्धि

**शैक्षणिक योजनायें** – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कई शैक्षणिक योजनायें चलायी जा रही हैं, इनमें मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्रवेशिकोत्तर संस्थाएँ एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना है। इसके अतिरिक्त आवासीय विद्यालयों छात्रावासों का संचालन, मेडिकल एवं इंजिनियरिंग कॉलेजों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहर एवं भुईया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना एवं अस्वच्छ कार्यों में जो परिवार लगे हुए हैं, उनके बच्चों के लिए विशेष दरों पर छात्रवृत्ति की योजनायें भी मुख्य रूप से संचालित हैं।

**प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** – प्रवेशिकोत्तर में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये योजना, गैर योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्रा को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं दरों के अनुरूप छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारियों को समूचित राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के छात्रवृत्ति की स्वीकृति जिस जिला में संस्थान अवस्थित है, उस जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा तथा राज्य के बाहर के संस्थान में अध्ययन छात्र / छात्राओं की स्वीकृति उनके गृह जिला से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।<sup>4</sup>

**छात्रवृत्ति के लिये अर्हता –**

- बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति होना चाहिए ।
- अभिभावक का वार्षिक आय दो लाख रुपया से कम होनी चाहिए ।
- मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए ।

**छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय है :-**

- अनुरक्षण भत्ता ।
- अनिवार्य शुल्क (लौटाने वाले शुल्क छोड़कर) ।
- अन्य भत्ता ।

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों को चार ग्रुपों में वर्गीकृत करके इसमें अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के मासिक अनुरक्षण भत्ता का दर नामांकन की तिथि से नियमानुसार निम्नवत है –

क्रमांक	ग्रुप	दिवाकालीन	छात्रावासी
1	I	550/-	1200/-
2	II	530/-	820/-
3	III	300/-	570/-
4	IV	230/-	380/-

ग्रुप के अनुसार पाठ्यक्रमों का विवरण :-

ग्रुप    पाठ्यक्रम

- (i) Degree and Post Graduate level course including M.Phil, Ph.D., and Post Doctoral research in Medicine (Allopathic, Indian and other recognised systems of medicines), Engineering, Technology, Planning, Architectur, Designe, Fashion, Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance / Administration, Computer Science / Applications.
- (ii) Commercial Pilot Licence (including helicopter pilot and multiengine rating course)
- (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of management & medicine
- (iv) C.A. / I.C.W.A. / C.S. / I.C.F.A. etc.
  - a) M.Phil., Ph.D., and Post Doctoral Programme (D.Litt., D.Sc. etc)
  - b) In existing group II courses
  - c) In existing Group III courses

- (v) L.L.M.
- II. (i) Graduate / Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B. Pharma), Nursing (B. Nursing), L.L.B., BFS, other para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc. Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel / Tourism / Hospitality Management, Interior, Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2)
- ii) Post Graduate not covered under Group I e.g. M.A./ M.Sc./ M.Com. / M.Ed. / M. Pharma etc.
- III. All other courses leading to a graduate degree not coverer under Group I & II e.g. B.A. / B.Sc./ B.Com etc.
- IV. All post - matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year Diploma courses in Polytechnics etc.
2. **अनिवार्य शुल्क –**
- अनिवार्य शुल्क के अन्तर्गत निम्नांकित सम्मिलित हैं –
1. नामांकन
  2. निबंधन
  3. शिक्षण
  4. खेल—कुद
  5. युनियन
  6. पुस्तकालय
  7. पत्रिका
  8. चिकित्सा जाँच
  9. उपरोक्त के अलावा अन्य अनिवार्य शुल्क भुगतान छात्र / छात्राओं द्वारा संस्थान या विश्विद्यालय / बोर्ड को किया जाता है, देय होता है। संस्थान द्वारा छात्र / छात्राओं को लौटाई जानेवाली शुल्क यथा कॉशन मनी/ सेक्युरिटी डिपोजिट की राशि सम्मिलित नहीं होता है, अतएव इसका भुगतान नहीं किया जाना है।<sup>3</sup>

### 3. अन्य भत्ता :—

उपरोक्त के अलावा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के तहत निर्धारित अन्य भत्ता देने का प्रावधान है।

#### प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति में नई पहल —

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र / छात्राओं से ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। ऑन–लाईन से प्राप्त आवेदन पत्रा की संख्या 2,16,009 है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का भुगतान e-Zpay card के माध्यम से किया जा रहा है। e-Zpay card के माध्यम से समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, साथ ही छात्रों द्वारा आवश्यकतानुसार पैसे की निकासी की जा सकती है। जिसकी उपलब्धि आगे सारणी के रूप में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति के लिए ₹ 0 2679.99 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 0 240.00 लाख आवंटित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति के लिए ₹ 0 11455.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 0 290.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

#### निष्कर्ष—

विभिन्न स्तरों की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के शैक्षणिक सुधार हेतु क्रियान्वित किए गए नीतियों का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भागीरथी प्रयास के द्वारा भी अभी तक अन्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जातियों की छात्रों की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो पाया है। सरकारी डाटा एवं दस्तावेजों से ही स्पष्ट होता है कि अभी भी अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं का शैक्षणिक विकास का स्तर निम्न है। स्कूल में दाखिल होने वाले अनुसूचित जाति के एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। आधे से अधिक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्ष पूरे होने के पहले ही पढ़ना बंद कर देते हैं, जो बच्चे स्कूल में आगे की पढ़ाई करते हैं, उनमें से आधे बच्चे मुश्किल से शैक्षणिक स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। स्कूल न जानेवाले अधिकतर बच्चे इसलिए पढ़ने में असमर्थ होते हैं कि उन्हें काम करना पड़ता है। अधिकांश बच्चे घरों तथा खेतों में पारिवारिक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बाल श्रम और शिक्षा से वंचित रहने के बीच नकारात्मक संबंध यह है कि वे स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, इसका एक कारक यह भी है कि स्कूल में ठीक

से पढ़ाई नहीं होती है। गुणावत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव रहता है। वे बच्चे घर और स्कूल दोनों जगह असहाय महसूस करते हैं, और अनपढ़ अभिभावक घर में सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं। स्कूल में शिक्षा का निम्न स्तर पाठ्यक्रम का अप्रासंगिकता, दंड—भय एवं भेद—भाव के कारण स्कूल नहीं जाना हीं बेहतर समझते हैं। उपर्युक्त सरकारी नीतियों द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों का शैक्षणिक स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी कम होना सरकारी नीतियों की दशा और दिशा को ब्यां करने के लिए काफी है। इसमें व्यापक सुधर एवं आमूलचूक परिवर्तन के साथ दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।

### संदर्भ—

1. हट्टन— 'भारत में जाति प्रथा' अनुवादक मंगलनाथ सिंह, पृष्ठ—iii
2. महात्मा गाँधी, 'रिमूवल ऑफ अनटचैबिलीटी' नवजीवन पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1949, पृष्ठ 192
3. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (बिहार सरकार) अध्याय—1, पृ० सं०—01
4. —वही— पृ० सं०— 05
5. —वही— पृ० सं०— 07
6. —वही— पृ० सं०— 08
7. —वही— पृ० सं०— 09
8. —वही— पृ० सं०— 10
9. —वही— पृ० सं०— 11
10. —वही— पृ० सं०— 12
11. —वही— पृ० सं०— 14
12. —वही— पृ० सं०— 17
13. बिहार महादलित विकास मिशन पृ० सं०— 128
14. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, अध्याय—1, पृ० सं०—22